सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं: NCST/DEV-7104/CG/28/2026-RO-RPR/RU-I **दिनांक: 12.05.2026**

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला-कांकेर,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
बस स्टैंड के पास,
कांकेर, छत्तीसगढ़-494334
ई-मेल :kanker.cg@nic.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-कांकेर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
कांकेर, छत्तीसगढ़-494334
ई-मेल: spkanker@gmail.com

विषय: धर्मातंरित परिवारों के द्वारा शासकीय भूमि मे अतिक्रमण भूमि से कब्जा बचाने" के संबंध में अभ्यावेदक श्री सुरेश कुमार एवं अन्य, ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा, तहसील - आमाबेड़ा, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ से प्राप्त दिनांक 20.02.2026 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 24.03.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-I, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में **दिनांक 20.05.2026** को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

अभ्यावेदक श्री सुरेश कुमार एवं अन्य,
ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा, तहसील - आमाबेड़ा,
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising the powers of a civil court under Article 338A of the Constitution of India)
(छत्तीसगढ़ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय)
(Regional Office for Chhattisgarh)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-7104/CG/28/2026-RO-RPR/RU-I

दिनांक: 24/03/2026

1. कलेक्टर
   जिला - कांकेर,
   छत्तीसगढ़- 494334
   Email Id: kanker.cg@nic.in

2. पुलिस अधीक्षक
   जिला - कांकेर,
   छत्तीसगढ़- 494334
   Email Id: spkanker@gmail.com

विषय: अभ्यावेदक श्री सुरेश कुमार एवं अन्य, ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा, तहसील - आमावेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) से प्राप्त अभ्यावेदन "धर्मांतरित परिवारों के द्वारा शासकीय भूमि मे अतिक्रमण भूमि से कब्जा बचाने" के संबंध में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री सुरेश कुमार एवं अन्य से दिनांक 20/02/2026 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **15 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संवन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको **'समन'** जारी कर सकता है।

प्र. कु. दास
(प्रदीप कुमार दास)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री सुरेश कुमार, ग्राम पंचायत बड़ेतेवड़ा,
तहसील - आमाबेड़ा, जिला - उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)
Mobile No:7067677854

क्रमांक/Issue 1244 1246
दिनांक 24.03.2026